

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -313/2024

अनवान : -

राजू पुत्र जीतराम जाति जाट निवासी नेहरा वाली ढाणी तहसील रावतसर  
जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

- रणजीत पुत्र रेखीराम जाति जाट निवासी 22 आर.डब्ल्यू.डी., नेहरा वाली ढाणी  
तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
- संतोष पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी नेहरा वाली ढाणी तहसील रावतसर  
जिला हनुमानगढ़
- सुमन पुत्री रणजीत पत्नी मनमीत कुमार जाति जाट निवासी दुर्गा कालोनी,  
नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काप्तकारी अधि० 1955

उपरिस्थिति :- श्री कुन्दनलाल वादी

श्री विकास शर्मा प्रतिवादीगण

डिक्री


दिनांक 18/12/24


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री कुन्दनलाल व वकील प्रतिवादीगण श्री विकास शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी स० 1 के नाम अंकित चक न० 5 बी.आर.एन. जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स० 71/68 में कुल 0.987 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में

१३३३३३३३

३३

प्रतिवादी स० 1 का नाम कलमजन करते हुए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन का आदेश दिया जाता है तथा इजराय प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकनीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी